Haryana Labour Welfare Board, Government of Haryana

Office of the Deputy Labour Commissioner (Welfare), Room No. 408,
Fourth Floor, Mini Secretariat, Near Rajiv Chowk, Gurugram.
Contact : Shiv Kumar Saini (9999600450), 0124-2223450
E-Mail:- dlcwgurugram@gmail.com, Website: www.hrylabour.gov.in

प्रेक्षक

उप श्रम आयुक्त (कल्याण),
एन0सी0आर0, गुरूग्राम।

प्रेषित

सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाए
गुरूग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी व पलवल।

No/DLCW/2021/459 Date: 15/06/2021

विषयः– मृतक श्रमिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संदर्भ में उप श्रम आयुक्त (कल्याण), गुरूग्राम सर्कल के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर (कोविड सहित) बोर्ड द्वारा मृतक श्रमिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतू विधवा/आश्रित सहायता योजना/दाह संस्कार व अन्य क्रियाक्रम हेतू वित्तीय सहायता योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत उसकी विधवा या आश्रित को 2,15,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसी प्रकार से कार्यस्थल पर काम करते वक्त कर्मचारी/श्रमिक की मृत्यु होने की अवस्था में मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत उसकी विधवा या आश्रित को पाँच लाख (5,00,000) रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस बारे आपको अवगत करवाया जाता है कि उक्त योजनाओं में बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्धारित सेवा अवधि तथा मासिक वेतन सीमा को निरस्त करते हुए निम्न संशोधन किया गया है।

"मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना तथा मृतक श्रमिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने सम्बन्धी दोनों योजनाओं का लाभ सभी अंशदाता कर्मचारियों को दिया जाएगा बशर्ते मृतक कर्मचारी का नाम संस्था के रोल पर दर्ज होना चाहिए।"

उक्त दोनों योजनाओं का ऑनलाईन आवेदन सम्बन्धित श्रमिक के आश्रित विभागीय वैबसाईट पर स्वयं अथवा अंत्योदय भवन, सरल केन्द्र में जा कर सकते है।

उप श्रम आयुक्त (कल्याण)
गुरूग्राम